UPAN010004242026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–119/2026

दीप नारायण शर्मा आयु लगभग 36 वर्ष पुत्र स्व० बसन्तु, निवासी चन्दपुर बुढनपुर, ` थाना इब्राहिमपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।

––––––––––––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ––––––––––––––अभियोजन पक्ष

<u>09.03.2026</u>

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० के अधीन आवेदक/अभियुक्त दीप नारायण शर्मा की ओर से मु०अ०सं०–213/2022 अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 323, 506 व 34 भा०दं०सं० थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2022 को समय लगभग 12.20 बजे वादी मुकदमा विसमिल्लाह द्वारा सम्बन्धित थाने पर इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि वह एक गरीब असहाय व वृद्ध व्यक्ति है। उसका कोई बच्चा व परिवार नही है। उसने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए रिश्ते के एक बच्चे शै० मोहम्मद अली राजू को गोद लिया है और अपनी समस्त चल अचल संपत्ति को उसी के नाम रजिस्टर्ड वसीयत भी किया है। विगत दिनों अचानक एक दुर्घटना में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। वह उसकी विधवा पत्नी एक बच्चा व विधवा वृद्ध बहन के साथ रहता है। उसके पास जीवन यापन हेतु डेढ़ बीघा खेती की जमीन है, जिसमें खेती करके वह गुजर–बसर करता है। गोद लिए बच्चे की मृत्यु के बाद से उसकी तबीयत खराब रहती है। गोविंद यादव पुत्र हरिराम यादव व दीप नारायण शर्मा मेरे घर पहले से प्रायः आया करते थे और मुझे तमाम आश्वासन व प्रलोभन दिया करते थे। उसको खेत में दवा छिड़कने की मशीन तथा किसान सम्मान निधि बनवाने के लिए उसकी खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक ले गए थे। विगत दिनों उसकी तबीयत खराब थी और इसी दौरान गोविंद यादव उसके घर आए और उसे मेडिकल कॉलेज टांडा में एक बड़े डक्टर को दिखाने की बात कहे। अगले दिन 21.01.2022 को गोविंद यादव व दीप नारायण उसके घर आए और डक्टर को दिखाने के बहाने मुझे सद्दरपुर टांडा ले गए और दिन भर मुझे एक दुकान पर बैठाये रखा और दोपहर बाद कहा कि आज डक्टर नहीं आए हैं, चलो घर छोड़ देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मुझे जान से मार देने की धमकी देते हुए कहा कि अपनी जमीन चल के लिख दो नहीं तो तुम्हें आज मार कर फेंक देंगे। दीप नारायण ने एक कट्टा निकाला और जान से मार देने के लिए मेरी गर्दन पकड़ लिया। प्रार्थी जान बचाने के लिये दोनों की बात मान लिया, तो उक्त दोनो लोग प्रार्थी की गदाया स्थित खेती की डेढ़ बीघा जमीन गाटा संख्या 273, 274, 275 बैनामा करा लिया। प्रार्थी बयान नहीं करने का प्रयास किया पर कार्यालय के कर्मचारी व अन्य लोगों की मिलीभगत से प्रार्थी की जमीन को कूट रचित तरीके से बैनामा करा लिया। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०–213/2022 अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468,

471, 323, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्त ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुये संक्षेप में कथन किया है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। विवाद एक पंजीकृत विक्रय विलेख से उत्पन्न हुआ है, जो उप-पंजीयक के समक्ष निष्पादित किया गया था तथा उसका भुगतान आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किया गया था। भूमि के क्षेत्रफल को लेकर उत्पन्न बाद का मतभेद एक दीवानी प्रकृति का विवाद है। दीवानी वाद तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के बीच विद्यमान विरोधाभास तथा एफ०आई०आर० दर्ज कराने में हुई अस्पष्टीकृत विलम्ब, अभियोजन के कथन की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। उसके विरुद्ध कोई प्रतिरूपण, जालसाजी अथवा कपटपूर्ण प्रलोभन का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उसने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है, विवेचक अधिकारी के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित हुआ है। अतः उसने स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केसडायरी के प्रासंगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रो को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त नामजद है। आवेदक/ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को प्रलोभन देकर उसकी खतौनी, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक ले लिया और उसे डॉक्टर को दिखाने के बहाने सद्दरपुर-टांडा ले तथा वहां से लौटते समय वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देते हुये कूट-रचित तरीके उसका लगभग डेढ़ बीघा जमीन गाटा संख्या 273, 274, 275 का बैनामा करवा लिया। इस प्रकार प्रकरण में गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया परलिक्षित होता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया अभियोग आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डनीय है। अभियोजन पक्ष की ओर आवेदक/ अभियुक्त का प्रस्तुत प्रकरण सहित कुल 9 प्रकरणो का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत है:-

1. मु०अ०सं०-156/2019 धारा 328, 420 भा०द०सं० थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
2. मु०अ०सं०-294/2019 धारा 406, 420, 504 भा०द०सं० थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
3. मु०अ०सं०-213/2022 धारा 323, 34, 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०द०सं० थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
4. मु०अ०सं०-319/2022 धारा 120-B, 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०सं० थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
5. मु०अ०सं०-669/2022 धारा 419, 420, 506 भा०द०सं० थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
6. मु०अ०सं०-380/2024 धारा 406, 419, 420, 506 भा०द०सं० थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर

7. मु०अ०सं०–425/2024 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर
8. मु०अ०सं०–158/2025 धारा 419, 420, 504, 506 भा०द०सं० थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
9. मु०अ०सं०–290/2022 धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये वह एक आपराधिक अभ्यासिक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं यह पाता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त दीप नारायण शर्मा की ओर से मु०अ०सं०–213/2022 अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 323, 506 व 34 भा०दं०सं० थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राम विलास सिंह)
प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
अम्बेडकर नगर।

दिनांक 09.03.2026